भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2434

10 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएम स्वनिधि योजना का कार्यान्वयन और प्रभाव

2434 श्री संजय राउतः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो विगत पाँच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित स्वीकृत ऋणों, संवितरित ऋणों, पुनर्भुगतान दर तथा लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) द्वितीय एवं तृतीय ऋण किश्तों का लाभ उठाने वाले रेहरी पटरी विक्रेताओं की राज्य-वार संख्या कितनी है तथा उनकी ऋण-पात्रता का आकलन करने के लिए कौन-कौन से मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने रेहरी-पटरी विक्रेताओं की आय, डिजिटल भुगतान तथा वित्तीय समावेशन पर इस योजना के प्रभाव का कोई आकलन किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में छोटे नगरों, अर्ध-शहरी क्षेत्रों तथा प्रमुख बाजारों में पीएम स्वनिधि योजना के दायरे का विस्तार करने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) जी, हां। पीएम स्वनिधि योजना ने शहरी पथ विक्रेताओं को जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी सावधि ऋण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। योजना की शुरुआत से **12** जुलाई, **2026** तक **76.95** लाख पथ विक्रेताओं ने **18,475** करोड़ रुपये की कुल राशि के **1.15** करोड़ से अधिक जमानत-मुक्त ऋणों का लाभ प्राप्त किया है।

(ख) पिछले **5** वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत, संवितरित ऋणों की संख्या और लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

पुनर्भुगतान की दर ऋण की अवधि के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण पुनर्भुगतान की व्यवस्था के अनुसार तीन ऋण किस्तें क्रमशः **12** माह, **18** माह तथा **36** माह की अवधि के लिए निर्धारित हैं, जिनका भुगतान मासिक किस्तों के माध्यम से किया जाता है।

(ग) पथ विक्रेता जो **15,000** रुपये तक की अपनी पहली ऋण किश्त का सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान करते हैं, वे **25,000** रुपये तक की दूसरी ऋण किश्त के लिए पात्र हैं। दूसरे ऋण के पुनर्भुगतान पर, विक्रेता **50,000** रुपये तक की तीसरी ऋण किश्त प्राप्त कर सकते हैं। **12** जुलाई **2026** तक, **29.71** लाख विक्रेताओं ने दूसरी ऋण किश्त का लाभ उठाया है, और **8.49** लाख विक्रेताओं ने तीसरी ऋण किश्त का लाभ उठाया है। दूसरी और तीसरी ऋण किश्त का लाभ उठाने वाले पथ विक्रेताओं की राज्य-वार संख्या अनुलग्नक-**II** में दी गई है।

(घ) जी, हाँ। पीएम स्वनिधि योजना के प्रभाव का आकलन करने हेतु वर्ष **2023** एवं **2025** में हैदराबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) द्वारा अध्ययन किया गया। वर्ष **2023** का अध्ययन देश के **100** शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में **5,000** से अधिक लाभार्थियों को शामिल करते हुए किया गया और यह पाया गया कि **95** प्रतिशत लाभार्थियों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत प्राप्त ऋण किसी बैंक से उनका पहला ऋण था तथा ऋण का उपयोग उनके व्यवसाय के विस्तार के लिए किया गया था। वर्ष **2025** का अध्ययन देश के **99** शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में **5,000** से अधिक लाभार्थियों को शामिल करते हुए किया गया (जिसमें लगभग **60** प्रतिशत उत्तरदाताओं ने वर्ष **2023** के अध्ययन के नमूने में भाग लिया था) और यह पाया गया कि वर्ष **2023** से **2025** के बीच स्वनिधि ऋण प्राप्तकर्ताओं की औसत वार्षिक व्यावसायिक आय में लगभग **20** प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सभी ऋण चक्रों में लगभग **30** प्रतिशत ऋणधारकों ने बताया कि उनके पास पीएम स्वनिधि ऋण के अतिरिक्त अन्य ऋण भी हैं, जो इस तथ्य को रेखांकित करता है कि यह योजना उन विक्रेताओं के लिए क्रेडिट हिस्ट्री विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिनकी पहले औपचारिक ऋण व्यवस्था तक बहुत कम या बिल्कुल भी पहुँच नहीं थी। इसके अतिरिक्त अध्ययन में यह भी पाया गया कि 2023 से 2025 के बीच पथ विक्रेताओं द्वारा डिजिटल भुगतान को अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि इस योजना का प्रभाव केवल व्यवसाय की रिकवरी तक ही सीमित नहीं है। ऋण संबंधी बाधाओं को कम करके तथा परिवारों के नकदी प्रवाह को स्थिर करके इस योजना ने पथ विक्रेता परिवारों को अपने जीवन-स्तर में सुधार करने, खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने तथा बच्चों की शिक्षा में सहयोग प्रदान करने में सक्षम बनाया है।

(ङ): पीएम स्वनिधि योजना को शुरू में सांविधिक शहरी क्षेत्रों में लागू किया गया था। पात्रता का विस्तार आसपास के अर्ध शहरी क्षेत्रों के उन पथ विक्रेताओं तक भी किया गया, जो शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की भौगोलिक सीमाओं के भीतर विक्रय कार्य करते हैं। पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत इस योजना के क्षेत्र का विस्तार सांविधिक शहरी क्षेत्रों से आगे बढ़ाकर क्रमिक रूप से जनगणना नगरों, अर्ध शहरी क्षेत्रों आदि तक भी किया गया है।

****

दिनांक 10 अगस्त, 2026 को राज्यसभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2434 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों के दौरान पथ विक्रेताओं के लिए स्वीकृत ऋणों का वर्ष वार, और राज्य वार विवरण

(12.07.2026 **तक)**

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्त वर्ष 22- 23	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 24-25	वित्त वर्ष 25-26
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	144	214	209	75	109
2	आंध्र प्रदेश	81,846	50,041	2,05,747	74,511	1,31,180
3	अरुणाचल प्रदेश	924	2,072	2,437	557	1,340
4	असम	42,955	23,885	72,679	26,889	26,871
5	बिहार	15,771	11,803	85,501	17,940	39,391
6	चंडीगढ़	1,572	1,898	2,341	562	379
7	छत्तीसगढ़	9,208	12,355	52,503	15,445	31,922
8	दिल्ली	10,241	31,457	1,35,979	30,151	25,198
9	गोवा	408	499	614	207	435
10	गुजरात	1,14,537	1,03,002	2,75,540	1,01,054	1,00,848
11	हरियाणा	12,571	12,009	1,37,251	31,512	49,328
12	हिमाचल प्रदेश	1,242	2,044	3,127	921	785
13	जम्मू और कश्मीर	3,808	5,143	5,821	1,928	1,461
14	झारखंड	8,202	8,761	58,887	11,787	21,404
15	कर्नाटक	45,255	78,143	2,57,232	77,472	91,428
16	केरल	3,351	5,497	1,04,027	37,265	39,723
17	लद्दाख	74	216	233	42	60
18	मध्य प्रदेश	1,99,007	1,76,591	4,87,233	1,68,229	2,22,576
19	महाराष्ट्र	44,404	2,34,703	5,19,665	1,44,013	2,17,965
20	मणिपुर	1,850	2,329	2,533	562	718
21	मेघालय	385	1,038	2,276	1,323	1,034
22	मिजोरम	132	133	1,929	978	870
23	नागालैंड	465	535	1,566	1,095	1,493
24	ओडिशा	8,102	13,068	40,632	11,001	17,710
25	पुडुचेरी	173	566	2,704	739	894
26	पंजाब	11,008	12,424	1,36,587	31,182	42,751
27	राजस्थान	11,902	18,899	1,09,330	49,433	51,339
28	सिक्किम	1	2	1,124	409	870
29	तमिलनाडु	62,850	58,820	2,75,080	69,647	87,682
30	तेलंगाना	74,964	98,526	1,76,157	44,218	49,548
31	दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली	149	446	1,373	233	314
32	त्रिपुरा	896	1,037	2,715	979	1,213
33	उत्तर प्रदेश	2,15,087	3,53,784	6,89,947	1,52,362	2,19,802
34	उत्तराखंड	1,935	7,322	17,269	7,497	6,926
35	पश्चिम बंगाल	8,810	4,937	1,84,747	36,700	1,11,289
	कुल	**9,94,229**	**13,34,199**	**40,52,995**	**11,48,918**	**15,96,856**

(डेटा स्रोत: पीएम स्वनिधि पोर्टल)

पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों के दौरान पथ विक्रेताओं को संवितरित ऋणों का वर्ष-वार और राज्य वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(12.07.2026 **तक)**

क्र.स.	राज्य	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22- 23	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 24-25	वित्तीय वर्ष 25-26
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	154	183	225	84	98
2	आंध्र प्रदेश	82,481	48,075	2,06,566	72,558	1,23,819
3	अरुणाचल प्रदेश	1,162	1,789	2,565	484	1,252
4	असम	42,725	23,665	74,005	26,218	25,301
5	बिहार	19,578	10,280	84,236	20,430	34,763
6	चंडीगढ़	1,591	1,919	2,317	637	325
7	छत्तीसगढ़	9,476	11,792	51,403	16,869	29,987
8	दिल्ली	10,946	27,340	1,38,738	30,042	21,758
9	गोवा	407	478	608	211	420
10	गुजरात	1,11,991	1,00,172	2,81,720	1,00,735	95,869
11	हरियाणा	11,687	12,289	1,34,179	32,298	44,782
12	हिमाचल प्रदेश	1,241	2,010	3,169	904	767
13	जम्मू और कश्मीर	4,085	5,007	5,535	1,798	1,243
14	झारखंड	8,348	7,572	59,045	12,754	19,154
15	कर्नाटक	45,561	68,393	2,68,802	75,160	86,210
16	केरल	3,397	5,184	1,03,130	36,453	37,836
17	लद्दाख	73	213	233	42	62
18	मध्य प्रदेश	2,02,846	1,72,328	4,82,613	1,77,391	2,19,810
19	महाराष्ट्र	61,877	2,12,280	5,26,087	1,46,209	2,07,027
20	मणिपुर	2,572	1,926	2,873	594	660
21	मेघालय	385	1,020	2,281	1,272	1,017
22	मिजोरम	135	128	1,885	942	873
23	नागालैंड	471	503	1,589	1,061	1,453
24	ओडिशा	9,392	10,852	41,417	10,890	16,467
25	पुडुचेरी	231	524	2,739	685	874
26	पंजाब	13,297	11,632	1,34,643	29,577	40,265
27	राजस्थान	16,916	9,179	1,14,871	53,361	49,534
28	सिक्किम	1	-	1,118	412	860
29	तमिलनाडु	78,485	60,806	2,73,218	70,032	81,901
30	तेलंगाना	90,980	89,113	1,87,300	46,705	48,947
31	दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली	229	313	1,512	231	305
32	त्रिपुरा	863	966	2,784	970	1,100
33	उत्तर प्रदेश	2,40,559	3,44,448	6,98,514	1,56,363	2,00,595
34	उत्तराखंड	1,910	7,005	17,477	7,536	6,727
35	पश्चिम बंगाल	11,211	2,779	1,84,104	38,034	1,02,916
	कुल	**10,87,263**	**12,52,163**	**40,93,501**	**11,69,942**	**15,04,977**

(डेटा स्रोत: पीएम स्वनिधि पोर्टल)

पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों के दौरान लाभार्थियों की संख्या का वर्ष वार और राज्य वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(12.07.2026 **तक)**

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22- 23	वित्तीय वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 24-25	वित्तीय वर्ष 25-26
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	96	10	55	6	5
2	आंध्र प्रदेश	71,199	12,653	1,36,609	15,869	75,522
3	अरुणाचल प्रदेश	916	845	1,244	162	436
4	असम	40,647	12,058	48,357	6,288	9,550
5	बिहार	18,709	3,574	66,567	11,204	23,065
6	चंडीगढ़	1,410	530	984	50	2
7	छत्तीसगढ़	6,562	4,252	28,608	10,842	19,477
8	दिल्ली	10,376	17,845	1,20,049	13,301	3,711
9	गोवा	221	67	224	45	193
10	गुजरात	95,114	46,012	2,08,362	28,433	30,516
11	हरियाणा	9,467	5,099	1,21,619	15,111	19,420
12	हिमाचल प्रदेश	590	496	1,490	115	99
13	जम्मू और कश्मीर	2,762	923	1,553	499	479
14	झारखंड	6,760	2,721	49,465	4,544	8,669
15	कर्नाटक	33,733	27,304	1,98,180	28,626	22,934
16	केरल	1,378	1,794	98,775	9,673	5,109
17	लद्दाख	14	60	128	14	3
18	मध्य प्रदेश	1,59,138	63,553	2,94,929	60,078	1,01,066
19	महाराष्ट्र	48,786	1,63,025	4,32,923	61,085	72,434
20	मणिपुर	2,467	353	924	72	131
21	मेघालय	356	795	1,761	756	342
22	मिजोरम	38	46	1,709	381	288
23	नागालैंड	300	221	1,233	631	802
24	ओडिशा	7,556	2,202	23,278	3,658	7,222
25	पुडुचेरी	119	90	2,119	79	135
26	पंजाब	12,691	3,755	1,13,649	11,218	19,427
27	राजस्थान	16,625	2,227	86,756	33,761	30,326
28	सिक्किम	1	-	1,108	124	331
29	तमिलनाडु	75,324	19,267	2,00,722	17,502	19,611
30	तेलंगाना	36,550	8,906	64,555	8,421	19,400
31	दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली	214	80	824	64	35
32	त्रिपुरा	609	338	1,764	329	461
33	उत्तर प्रदेश	2,23,237	1,48,768	3,95,727	64,862	1,15,156
34	उत्तराखंड	1,385	2,763	12,166	3,027	2,390
35	पश्चिम बंगाल	11,197	1,583	1,76,306	13,826	57,412
	कुल	**8,96,547**	**5,54,215**	**28,94,722**	**4,24,656**	**6,66,159**

(डेटा स्रोत: पीएम स्वनिधि पोर्टल)

दिनांक 10 अगस्त, 2026 को राज्यसभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2434 **के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II**

पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत दूसरी और तीसरी ऋण किश्त का लाभ उठाने वाले विक्रेताओं की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

(12.07.2026 **तक**)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पथ विक्रेताओं द्वारा लिया गया ऋण	
		दूसरी ऋण किश्त	तीसरी ऋण किश्त
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	386	193
2	आंध्र प्रदेश	1,75,030	48,793
3	अरुणाचल प्रदेश	2,632	1,129
4	असम	57,785	19,995
5	बिहार	39,304	8,247
6	चंडीगढ़	2,774	1,096
7	छत्तीसगढ़	40,012	10,974
8	दिल्ली	53,646	13,094
9	गोवा	921	469
10	गुजरात	2,15,845	81,147
11	हरियाणा	56,094	13,671
12	हिमाचल प्रदेश	3,467	1,920
13	जम्मू और कश्मीर	8,109	3,496
14	झारखंड	29,447	6,963
15	कर्नाटक	1,82,620	61,361
16	केरल	59,097	15,533
17	लद्दाख	272	136
18	मध्य प्रदेश	4,47,047	1,51,837
19	महाराष्ट्र	3,14,685	86,248
20	मणिपुर	3,644	1,116
21	मेघालय	1,591	459
22	मिजोरम	1,190	388
23	नागालैंड	1,442	537
24	ओडिशा	34,897	11,539
25	पुडुचेरी	1,988	661
26	पंजाब	58,488	13,954
27	राजस्थान	65,958	11,247
28	सिक्किम	719	162
29	तमिलनाडु	1,86,210	54,295
30	तेलंगाना	2,37,055	91,260
31	दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली	1,076	317
32	त्रिपुरा	2,427	888
33	उत्तर प्रदेश	5,93,782	1,21,082
34	उत्तराखंड	14,337	5,222
35	पश्चिम बंगाल	77,218	10,042
	कुलयोग	**29,71,195**	**8,49,471**

(डेटा स्रोत: पीएम स्वनिधि पोर्टल)

***